न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
145/2022	28-03-2022	08.4.22

बउनवान :-

01. श्रीमती सुदेश देवी उम्र करीब 59 साल पत्नी श्री हरिराम जाति अहीर निवासी खोला मौहल्ला, गॉव गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

-----:: वादी

बनाम

01. अभयसिंह
02. राजेन्द्रसिंह
03. सतीश
04. हनुमान सिंह पुत्र श्री गोपीराम
05. छिम्मादेवी पत्नी श्री गोपीराम
06. सुनीतादेवी पुत्री श्री गोपीराम जाति अहीर निवासीगण खोला मौहल्ला, गॉव गोठडा तहसील तिजारा (अलवर)
07. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोठडा जिला अलवर
08. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील तिजारा जिला अलवर

-----:: प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-:: निर्णय ::-

वादीयां द्वारा एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का पेश किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.29 है0, 475 रकबा 0.22 है0 में से 1/8 भाग वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रत्येक के नाम 1/48 भाग अलग दर्ज रिकार्ड है, जो आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। विवादित आराजी गोपीराम पुत्र मुखराम जाति अहीर निवासी ग्राम गोठडा तहसील तिजारा की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी रही है। गोपीराम ने उक्त विवादित आराजी का बेचान मिन वादीयां को जरिये रजि. बयनामा दिनांक 14.08.2014 को बाकब्जा, बाप्रतिफल प्राप्त कर दिया। जिस बयनामा को उपपंजीयक महोदय तिजारा के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 429 में पृष्ठ संख्या 18 कम संख्या 2014002712 पर पंजीबद्व कराया गया है। वादीयां वक्त खरीद से ही उक्त आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती आ रही है। मिन वादीयां ने उक्त बयनामा की नकल हल्का पटवारी को इंतकाल दर्ज करने के लिए दे दिया तो हल्का पटवारी ने बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आश्वासन दिया। मिन वादियां हल्का पटवारी के आश्वासन पर रही और विवादित आराजी पर काबिज व दाखिल होकर काश्त कारोबार करती चली आ रही है। मिन

अधिकारी

[illegible] जो कि [illegible] के साथ साथ [illegible]

वादीयों आराजी की [illegible] होता है। मिन वादीया जो कि [illegible] विवादित आराजी बदस्तूर [illegible] के नाम
है, जो हल्का पटवारी के [illegible] खातेदार [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने
रिकार्ड में [illegible] के [illegible] नाम व मंजूर [illegible] प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 ने
[illegible] इन्तकाल [illegible] के अपने नाम दर्ज किया। प्रतिवादीगण संख्या 1
[illegible] राजस्व रिकार्ड [illegible] के बाद [illegible] मिन वादीया के हक हकूक
विवादित आराजी का [illegible] राजस्व रिकार्ड [illegible] के [illegible] से विवादित आराजी पर प्रतिवादी
लगायत 6 ने अपने नाम के [illegible] की मदद से [illegible] मिन वादीया को नहीं होने
की [illegible] की मदद से व अपने [illegible] दिया। जिसकी जानकारी मिन वादीया के नाम इन्तकाल
संख्या 7 [illegible] की मुताबिक [illegible] आराजी पर [illegible] बयनामा के अनुसार मिन वादीया के नाम इन्तकाल
है। जबकि हल्का पटवारी को मिन वादीयों के [illegible] बयनामा के अनुसार करना चाहिए था, परन्तु हल्का पटवारी ने
दर्ज व मंजूर कर मिन वादीयों के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करना चाहिए था, परन्तु हल्का पटवारी ने
बयनामा के अनुसार मिन वादीयों के नाम इन्तकाल दर्ज व मंजूर नहीं किया। मर्हूम के नाम का अमल
विवादित आराजी पर बदस्तूर रहा और उसके मरने के बाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 का मिन
वादीयों के हक में किये बयनामा की पूरी पूरी जानकारी होने के बावजूद भी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत
6 ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों को गुमराह कर अपने नाम का अमल दरामद कराया है।
प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के नाम विवादित आराजी में आया अमल, मिन वादीया के हकूकों के
खिलाफ आरम्भ से ही बातिल व बेअसर है, नाकाबिल पाबन्दी है, प्रभाव शून्य है। जिस मिन वादीया उसी
कदर बातिल व बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के नाम का हजफ करवाकर
बयनामा के आधार पर मिन वादीयां विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है
व इस्तकलालन मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री पाने की अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी
सं0 1 लगायत 6 उपस्थित उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि वादी का
वाद को डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 7 व 8
फोरमल पक्षकार होने के कारण कोई राजहित प्रभावित नहीं होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत राजीनामा एवं बयनामा दिनांक 14.08.2014 के अनुसार
वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.29 हे0, 475 रकबा
0.22 हे0 वाके ग्राम गोठड़ा तहसील तिजारा जिला अलवर में से 1/8 भाग का वादी का नाम दर्ज किये
जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के प्रत्येक के 1/48 हिस्से को
हजफ किया जावे तथा उक्त रकबे पर जारी लोन को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की अन्य आराजी व
रकबे पर शिफ्ट किया जावे। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। मर्चा डिक्री जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

[illegible]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
145/2022	28-03-2022	08.4.22

समक्ष :-

01. श्रीमती सुदेश देवी उम्र करीब 59 साल पत्नी श्री हरिराम जाति अहीर निवासी खोला मौहल्ला, गॉव गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: वादी

बनाम

01. अभयसिंह
02. राजेन्द्रसिंह
03. सतीश
04. हनुमान सिंह पुत्र श्री गोपीराम
05. सिम्भादेवी पत्नी श्री गोपीराम
06. सुनीतादेवी पुत्री श्री गोपीराम जाति अहीर निवासीगण खोला मौहल्ला, गॉव गोठडा तहसील तिजारा (अलवर)
07. श्रीमान् शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षैत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा गोठडा जिला अलवर
08. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार साहब तहसील तिजारा जिला अलवर

———:: प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज मय हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–:: पर्चा डिकी ::–

हाल आराजी खसरा नम्बर 474 रकबा 0.29 है0, 475 रकबा 0.22 है0 वाके ग्राम गोठडा तहसील तिजारा जिला अलवर में से 1/8 भाग का वादी का नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है उक्त रकबा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के प्रत्येक के 1/48 हिस्से को हजफ किया जावें तथा उक्त रकबे पर जारी लोन को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की अन्य आराजी व रकबे पर शिफट किया जावें। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0